

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-२ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित ।)

बुधवार, तिथि १६ मार्च, १९७५

विषय-सूची

	पृष्ठ
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा ।	१
विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प :	
बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) अध्यादेश, १९७५ (अस्वीकृत) ।	२-३२
बिहार विधान-परिषद् द्वारा यथापारित बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) विधेयक, १९७५ के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा ।	३२-३७
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	
(क) राज्य में बढ़ती हुई चोरी, डकैती एवं राहजनी से उत्पन्न स्थिति ।	३७-३९

(३) न्याय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ४ से ५ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “न्याय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ३,३६,७०५ (तीन लाख, छत्तीस हजार, सात सौ पाँच) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(४) भू-राजस्व एवं प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ६ से ७, ८४, ६० से ६४ एवं १५६ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “भू-राजस्व एवं प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त २,७२,७६,७०५ (दो करोड़, बहत्तर लाख, उनासी हजार, सात सौ पाँच) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(५) कर, खजाना, पेंशन और मुद्रण

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ७ से ८, ११, २३, २८ से २६ एवं २११ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “कर, खजाना, पेंशन